# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौकरिया
आर.ए.एस.

| | | |
|---|---|---|
| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
| 58 / 2025 प्रा.पत्र / 2025 | 18.06.2025 | 25.09.2025 |

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री चौधरी मीत कुमार बसन्तभाई पुत्र श्री बसन्तभाई कोडरभाई निवासी 4 कृष्ण कुन्ज सोसायटी धनसुरा साबरकांटा, जिला अरावली गुजरात एफ.बी.ओ. मैसर्स साबर डेयरी उनियारा केयर ऑफ चौधरी एन्टरप्राईजेज एच–1–77 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया उनियारा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304024 मोबाईल नं0 9427079676

2–मैसर्स साबर डेयरी उनियारा केयर ऑफ चौधरी एन्टरप्राईजेज एच–1–77 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया उनियारा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304024

.......अप्रार्थी

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)**

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री दीपक कुमार योगी उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 25/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.04.2025 को समय 01:00 पी.एम. पर मैसर्स साबर डेयरी उनियारा केयर ऑफ चौधरी एन्टरप्राईजेज एच–1–77 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री चौधरी मीत कुमार बसन्तभाई पुत्र श्री बसन्तभाई कोडरभाई अपने प्रतिष्ठान मैसर्स साबर डेयरी उनियारा केयर ऑफ चौधरी एन्टरप्राईजेज एच–1–77 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया उनियारा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ दूध व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री चौधरी मीत कुमार बसन्तभाई पुत्र श्री बसन्तभाई कोडरभाई को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री चौधरी मीत कुमार बसन्तभाई पुत्र श्री बसन्तभाई कोडरभाई ने स्वयं को प्रतिष्ठान का प्लांट इन्चार्ज होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा विकी प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु प्रतिष्ठान के चिलिंग प्लान्ट मे 20,000 लीटर वाली क्षमता वाले टैंक मे लगभग 7500 लीटर **मिक्सड मिल्क (खुला)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री चौधरी मीत कुमार बसन्तभाई पुत्र श्री बसन्तभाई कोडरभाई को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री चौधरी मीत कुमार बसन्तभाई पुत्र श्री बसन्तभाई कोडरभाई व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि प्रतिष्ठान/चिलिंग प्लान्ट में 20000 लीटर की क्षमता वाले टैंक में रखे लगभग 7500 लीटर **मिक्सड मिल्क (खुला)** में से 2 लीटर वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिक्सड मिल्क (खुला)** 2 लीटर को प्लास्टिक की साफ व सूखी चार शिशियों में बराबर-बराबर 500-500 एम.एल. भरकर प्रत्येक शिशी में बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40-40 बूंदे डालकर, शिशियों के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4296 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4296 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/525 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/1486/एफ/2025/1495 दिनांक 24.04.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मिक्सड मिल्क (खुला)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम

अतिरिक्त जिला

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक(Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय मे प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी श्री दीपक कुमार योगी उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नही है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नही है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानको को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिक्सड मिल्क (खुला)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिक्सड मिल्क (खुला)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण मे लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन [illegible])
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज